फैक्स नं0-01874-224501

संख्या-251/2016/750जेपीआर/22-3-16-800(1)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गुरदासपुर, पंजाब।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2016***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी-ग्राम-फुलवरिया, थाना-पलिया, जनपद-खीरी एवं वर्तमान पता-ग्राम-कोटली सूरतमल्ली, थाना-कोटली सूरतमल्ली, जनपद-गुरदासपुर(पंजाब) को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी तरसेम सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह, निवासी-ग्राम-फुलवरिया, थाना-पलिया, जनपद-खीरी एवं वर्तमान पता-ग्राम-कोटली सूरतमल्ली, थाना-कोटली सूरतमल्ली, जनपद-गुरदासपुर(पंजाब) को शासनादेश संख्या-167/2016/1939जेएल/22-3-16-800(1)/2016, दिनांक 05-05-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-251/2016/750जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर, पंजाब। (फैक्स नं0-01874-245396)
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in